



सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल—8
निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेब साइट—www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल—ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल—४

लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण —

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन के समय उत्तराखण्ड के जनपदों में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा १-५) हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III संचालित था। उक्त कार्यक्रम हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, एवं बागेश्वर में वर्ष 2000 से संचालित था। ०९ नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के उपरान्त राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार से कार्यक्रम को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा संचालित किये जाने के सन्दर्भ में निवेदन किया। उक्त हेतु मानव संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में २७ नवम्बर, 2000 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में डी०पी०ई०पी०-III के संचालन के लिए "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद" का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, २००१ को किया गया। परिषद द्वारा डी०पी०ई०पी०-III सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता प्रकोष्ठ को संचालित किया जा रहा है।

क्षेत्राधिकार— इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश है।

सोसायटी कार्यालय— पंजीकृत परिषद का कार्यालय ननूरखेड़ा, पो०ओ०-तपोवन, देहरादून में स्थापित है।

परिषद के उद्देश्य— परिषद स्वायत एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में शैक्षिक परियोजनायें— जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III तथा सर्व शिक्षा अभियान जो भारत सरकार द्वारा प्रयोजित हैं को उत्तराखण्ड में संचालित किया जायेगा।

परिषद का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, व्यवसायिक, कम्प्यूटर, अनौपचारिक, वैकल्पिक व नवाचारी, साक्षरता कार्यक्रम जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों से समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में परिवर्तन लाना है। इन क्षेत्रों में उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिषद निम्नलिखित क्रियान्वित करेगी—

१— शिक्षा के सार्वभौमिकरण को एक संगठित एवं समन्वित कार्यक्रम के रूप में अपनायेगी।

२— युवाओं के लिए सत्त् शिक्षा और कौशल विकसित कार्यक्रम।

३— महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने हेतु बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

४— समाज के अपवंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं को समान शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

५— ६-१४ आयु वर्ग के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता उपकरण सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

६—शैक्षिक गतिविधियों में संस्कृति, पर्यटन, संवादों का आदान-प्रदान, कम्प्यूटर तकनीकी, विज्ञान और पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय के मूल्यों पर विशेष बल दिया जायेगा।

कृत्य और कर्तव्यः— उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद कार्यालय विभिन्न संस्थाओं, एजेन्सी और व्यक्तियों के संयोग और समर्थन से निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्यों का निर्वहन करता है—

- 1— परिषद द्वारा बिन्दु-4 में दर्शाये गये विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त आवश्यक गतिविधियाँ क्रियान्वित की जायेगी।
- 2— महिला तथा बाल कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, जल निगम तथा इसी प्रकार की अन्य स्वायतशासी संस्थाओं, केन्द्र तथा राज्य सरकार की सहभागिता से प्रशासकीय तंत्र का वांछित सशक्तिकरण किया जायेगा।
- 3— परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना जिला टार्क फोर्स, जिला विकास खण्ड, न्यायपंचायत तथा ग्राम स्तर पर व्यवस्थायें सुनिश्चित कर आवश्यक शक्तियों का हस्तान्तरण किया जायेगा ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
- 4— शिक्षा के उन्नयन तथा विकास हेतु प्रतिबद्ध शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, अध्यापकों और व्यक्तियों का सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी।
- 5— प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में प्रभावकारी विकेन्द्रीयकरण किया जायेगा और इसके लिए समुचित औपचारिक ढांचे की भी व्यवस्था की जायेगी।
- 6— परिषद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापकों की सृजनात्मक सहभागिता प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।
- 7— प्राथमिक विद्यालयी, अनौपचारिक, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा व्यवस्था में प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।
- 8— उत्तरदायी और लचीली जनशक्ति नियोजन के लिए समुचित ऑकड़े और एजुकेशन मैनेजमेंट एण्ड इन्फॉरमेशन सिस्टम को व्यवस्थित किया जायेगा ताकि नामांकन और समुचित अध्यापक छात्र अनुपात बनाया जा सके।
- 9— शिक्षा तथा शैक्षिक प्रबन्धन से सम्बन्धित शोध और अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 10— तकनीकी सन्दर्भ सहायता को सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- 12— शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना तथा उनका शैक्षिक क्रियाओं में प्रयोग किया जायेगा।
- 13— शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना तथा उनका शैक्षिक क्रियाओं में प्रयोग किया जायेगा।
- 14— प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय संस्थाओं के साथ सहयोग, समन्वयन तथा अन्तर सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

- 15— सचल सामुदायिक पुस्तकालयों का स्कूल, कॉलेज में संचालन हेतु क्रमबद्ध व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16— परिषद में शैक्षिक, तकनीकी, प्रबन्धकीय व प्रशासकीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा परिषद के आदेशों और नियमों, के अनुसार उनका भुगतान किया जायेगा।
- 17— परिषद के कार्यों के संचालन हेतु नियमों, आदेशों व उपनियमों को बनाना तथा समय—2 पर आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन किया जायेगा।
- 18— अनुदान की धनराशि प्रतिभूति और किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को लेना तथा देना और परिषद से सम्बन्धित किसी स्थायी निधि वाले ट्रस्ट का प्रबन्धन, कोष और दान को ग्रहण किया जायेगा।
- 19— स्वीकृत बजट का व्यय वित्तीय नियमों, औचित्य एवं मितव्ययता के साथ किया जायेगा।
- 20— परिषद के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों को तैयार किया जायेगा।
- 21— परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्रियान्वयन हेतु चल तथा अचल सम्पत्ति को छाप करना, किराये, लीज पर लेना, निर्माण करना तथा उस पर निर्माण एवं शुर्नर्मिति किया जायेगा।
- 22— परिषद द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन सभी कार्य उपायों को अपनाया जायेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत होते हैं।
- 4— संबद्ध संस्था की भूमिका — कार्य कारिणी
- 5— स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य— सोसायटी पंजीकरण एकट (एकट न0 21 ऑफ 1860) सन् 1860 के अन्तर्गत परिषद की कर्मकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय, पदनाम जो कि परिषद के नियमों और आदेशों में कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, का विवरण निम्नवत् हैं—
- | | | |
|---|---|-----------------|
| i. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | — | अध्यक्ष पदेन |
| ii. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | — | उपाध्यक्ष पदेन |
| iii. सचिव अथवा उनके द्वारा नामित | | |
| iv. वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन | — | सदस्य पदेन |
| v. सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन | — | |
| | | सदस्य पदेन |
| vi. अपर सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | — | सदस्य पदेन |
| vii. शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड | — | सदस्य पदेन। |
| viii. अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड | — | सदस्य पदेन |
| ix. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड | — | सदस्य पदेन |
| x. राज्य परियोजना निदेशक सभी के लिए शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड— | — | सदस्य सचिव पदेन |

कार्यकारिणी समिति का विस्तृत विवरण

i.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष पदेन
ii.	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष पदेन
iii.	सचिव अथवा उनके द्वारा नामित एक सदस्य वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
iv.	सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
v.	अपर सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
vi.	शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
vii.	अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य पदेन
viii.	महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
ix.	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय क्रम में नामित जिला टास्क फोर्स के दो अध्यक्ष	सदस्य
x.	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय क्रम में नामित जिला परियोजना समिति के दो अध्यक्ष	सदस्य
xi.	केन्द्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य	सदस्य
xii.	राज्य सरकार द्वारा नामित दो	सदस्य
xiii.	अकादमिक / तकनीकि संस्थाओं के निदेशक / प्रतिनिधि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नामित दो शिक्षा विद् जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य के प्रति जाने जाते हो	सदस्य
xiv.	केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दो महिलायें— जो महिलाओं के विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में किसे गये कार्य के प्रति जाने जाते हों	सदस्य
xv.	स्वयं सेवी संस्थाओं के नामित दो प्रतिनिधि जो:- राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा तभा साक्षरता के क्षेत्र में परियोजना कार्यक्रमों के संचालन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। कार्यक्रम के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु परिषद में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।	सदस्य

समितियों का विवरण:-

1. परिषद की साधारण सभा

सभापति	—	मा० मुख्य मन्त्री, उत्तराखण्ड
उपसभापति	—	मा० शिक्षा मन्त्री, उत्तराखण्ड
सदस्य सचिव	—	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

- 15— अचल सामुदायिक पुस्तकालयों का स्कूल, कॉलेज में संचालन हेतु क्रमबद्ध व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16— परिषद में शैक्षिक, तकनीकी, प्रबन्धकीय व प्रशासकीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा परिषद के आदेशों और नियमों, के अनुसार उनका भुगतान किया जायेगा।
- 17— परिषद के कार्यों के संचालन हेतु नियमों, आदेशों व उपनियमों को बनाना तथा समय-2 पर आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन किया जायेगा।
- 18— अनुदान की धनराशि प्रतिभूति और किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को लेना तथा देना और परिषद से सम्बन्धित किसी स्थायी निधि वाले ट्रस्ट का प्रबन्धन, कोष और दान को ग्रहण किया जायेगा।
- 19— स्वीकृत बजट का व्यय वित्तीय नियमों, औचित्य एवं भितव्ययता के साथ किया जायेगा।
- 20— परिषद के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों को तैयार किया जायेगा।
- 21— परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्रियान्वयन हेतु चल तथा अचल सम्पत्ति को छाय करना, किराये, लीज पद लेना, निर्माण करना तथा उस पर निर्माण एवं उन्नर्विमाण किया जायेगा।
- 22— परिषद द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन सभी कार्य उपायों को अपनाया जायेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत होते हों।
- 4— संबद्ध संस्था की भूमिका — कार्य कारिणी
- 5— स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य— सोसायटी पंजीकरण एवट (एक्ट नं 21 ऑफ 1860) सन् 1860 के अन्तर्गत परिषद की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय, पदनाम जो कि परिषद के नियमों और आदेशों में कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, का विवरण निम्नवत् है—
- | | | |
|---|---|-----------------|
| i. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | — | अध्यक्ष पदेन |
| ii. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | — | उपाध्यक्ष पदेन |
| iii. सचिव अथवा उनके द्वारा नामित | | |
| iv. वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन | — | सदस्य पदेन |
| v. सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन | — | सदस्य पदेन |
| vi. अपर सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | — | सदस्य पदेन |
| vii. शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड | — | सदस्य पदेन। |
| viii. अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड | — | सदस्य पदेन |
| ix. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड | — | सदस्य पदेन |
| x. राज्य परियोजना निदेशक सभी के लिए शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड— | — | सदस्य सचिव पदेन |

कार्यकारिणी समिति का विस्तृत विवरण

i.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष पदेन
ii.	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष पदेन
iii.	सचिव अथवा उनके द्वारा नामित एक सदस्य वित्त एवं नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
iv.	सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
v.	अपर सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य पदेन
vi.	शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
vii.	अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य पदेन
viii.	महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य पदेन
ix.	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय क्रम में नामित जिला टास्क फोर्स के दो अध्यक्ष	सदस्य
x.	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय क्रम में नामित जिला परियोजना समिति के दो अध्यक्ष	सदस्य
xi.	केन्द्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य	सदस्य
xii.	राज्य सरकार द्वारा नामित दो	सदस्य
xiii.	अकादमिक/तकनीकि संस्थाओं के निदेशक/प्रतिनिधि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नामित दो शिक्षा विद् जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य के प्रति जाने जाते हो	सदस्य
xiv.	केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दो महिलायें— जो महिलाओं के विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में किसे गये कार्य के प्रति जाने जाते हों	सदस्य
xv.	स्वयं सेवी संस्थाओं के नामित दो प्रतिनिधि जो:- राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा तभा साक्षरता के क्षेत्र में परियोजना कार्यक्रमों के संचालन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट 1860 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। कार्यक्रम के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु परिषद में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।	सदस्य

समितियों का विवरण:-

1. परिषद की साधारण सभा

सभापति	—	मा० मुख्य मन्त्री, उत्तराखण्ड
उपसभापति	—	मा० शिक्षा मन्त्री, उत्तराखण्ड
सदस्य सचिव	—	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

2. कार्यकारिणी समिति (मुख्य समिति)		
अध्यक्ष	—	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
उपाध्यक्ष	—	सचिव, शिक्षा
सदस्य सचिव	—	राज्य परियोजना निदेशक
3. कार्यक्रम समिति (उप समिति)		
अध्यक्ष	—	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
सदस्य सचिव	—	राज्य परियोजना निदेशक
4. वित्त एवं ग्राण्ट-इन-एड समिति (उप समिति)		
अध्यक्ष	—	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
सदस्य सचिव	—	राज्य परियोजना निदेशक
5. शोष सलाहकार समिति		
सदस्य सचिव	—	अध्यक्ष – सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
6. राज्य सलाहकार समिति	—	राज्य परियोजना निदेशक
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति		
अध्यक्ष	—	निर्माण कार्य
सदस्य सचिव	—	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
राज्य परियोजना निदेशक		राज्य परियोजना निदेशक
8— मुख्य अधिकारी का नाम— राज्य परियोजना निदेशक		
7— मुख्य कार्यालय तथा अन्य शाखाओं के पते:-		
(A) राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा, तपोबन, सहस्रबारा रोड, देहरादून।		
(B) अन्य शाखाओं के पते:-		

क्रम संख्या	जिला	कार्यालय	पता	फोन नं.
01	हरिद्वार	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) हरिद्वार	जिला परियोजना कार्यालय (SSA) पुरानी कथहरी, देवपुरा हरिद्वार	227384
02	चम्पावत	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) चम्पावत	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), गोरल चौड़ रोड, चम्पावत	230614
03	रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), बढ़ी केदार टूरिस्ट लॉज, रुद्रप्रयाग	233943
04	बागेश्वर	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) बागेश्वर	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), तहसील रोड, बागेश्वर	220653
05	नैनीताल	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), मल्लीताल, नैनीताल	232520
06	पिथौरागढ़	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), पिथौरागढ़	226881
07	अल्मोड़ा	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) अल्मोड़ा	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), जाखन देवी, अल्मोड़ा	237132
08	ऊधमसिंह नगर	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) रुद्रपुर	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), रुद्रपुर	241522

09	पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) पौड़ी	जिला परियोजना कार्यालय - (SSA), शिक्षा संकुल, पौड़ी	223872
10	ठिहरी	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) ठिहरी	जिला परियोजना कार्यालय (SSA) ठिहरी	233436
11	चमोली	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) चमोली	जिला परियोजना कार्यालय (SSA) गोपेश्वर, चमोली	253363
12	उत्तरकाशी	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) उत्तरकाशी	जिला परियोजना कार्यालय (SSA) उत्तरकाशी	224318
13	देहरादून	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) देहरादून	जिला परियोजना कार्यालय (SSA) मोथरोंवाला रोड, देहरादून	2675227

8— बैठक की आवृत्ति ?

साधारण सभा — वर्ष में एक बार। -

कार्यकारिणी की समिति:- वर्ष में चार बार।

9— क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है। (हाँ)

10— क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किया जाता है। (हाँ)

11— क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्ध (नौ) के अधीन विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नवत् लोक सूचना अधिकारियों से आवेदन कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य/मुख्यालय स्तर	लोक सूचना अधिकारी	अपर राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
	अपीलेट अधिकारी	राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
जनपद स्तर (प्रत्येक जनपद)	लोक सूचना अधिकारी	जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी (एस०एस०ए०)
	अपीलेट अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी